

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 24/3/2020

विषय:- विकास भवन, नया सचिवालय, पटना अवस्थित, नगर विकास एवं आवास विभाग के Conference Hall एवं विभिन्न कमरों के जीर्णोद्धार तथा माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष के आंतरिक साज-सज्जा एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹70.32300 लाख (सत्तर लाख बत्तीस हजार तीन सौ रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विकास भवन, नया सचिवालय, पटना अवस्थित माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष तथा विभागीय Conference Room के आंतरिक साज-सज्जा एवं जीर्णोद्धार से संबंधित निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित कार्यों को स्तम्भ- 3 में अंकित पत्रों द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. तालिका के स्तम्भ- 2 में वर्णित कार्यों हेतु बजट उपबंध नहीं रहने के कारण राशि आवंटित नहीं की जा सकी थी। उक्त बजट शीर्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से राशि प्राप्त की गई है, जिसका संसूचन विभागीय पत्रांक- 1182, दिनांक- 05.03.2020 द्वारा महालेखाकार, बिहार से करा लिया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में विकास भवन, नया सचिवालय, पटना अवस्थित माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष तथा विभागीय Conference Room के आंतरिक साज-सज्जा एवं जीर्णोद्धार से संबंधित निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित कार्यों के लिए स्तम्भ- 3 में अंकित पत्रों के माध्यम से स्तम्भ- 4 के अनुरूप प्राप्त स्वीकृति की राशि को स्तम्भ- 5 के अनुरूप ₹70.32300 लाख (सत्तर लाख बत्तीस हजार तीन सौ रु०) मात्र की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से राशि से निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक/दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	स्वीकृत कुल राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5
1.	Renovation of Chamber, Antee Room, Bath room, Corridor, P.A. Room of Hon'ble Minister Urban Development Department at Vikash Bhawan, patna for the year 2019-20.	6167/ 21.11.2019	13.90400	13.90400
2.	Supply and Installation of Furniture at Hon. Minister Urban Development Department Chamber at Vikash Bhawan, Patna for the year 2019-20.		11.50700	11.50700

3.	Supply and Installation of Video Conferencing System and other necessary item for monitoring Cell of Urban Development Department at Vikash Bhawan, Patna for the year 2018-19.	6166/ 21.11.2019	12.58100	12.58100
4.	Supply and Installation Monitoring Display System for Monitoring Cell of Urban Development Department at Vikash Bhawan, Patna for the year 2018-19.		10.82800	10.82800
5.	Supply and Installation Monitoirnt Display System for monitoring Cell of Urban Development Department at Vikash Bhawan, Patna for the year 2018-19 (Part-II).		9.54000	9.54000
6.	Supply and Installation of UHD T.V System and Air Condition work for Hon'ble Minister of Urban Development at Vikash Bhawan, Patna for year 2018-19.		11.96300	11.96300
<b>कुल योग</b>			<b>70.32300</b>	<b>70.32300</b>

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹70.32300 लाख (सत्तर लाख बत्तीस हजार तीन सौ रु०)

मात्र।

4. तालिका में वर्णित कार्यों का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. उक्त स्वीकृत राशि ₹70.32300 लाख (सत्तर लाख बत्तीस हजार तीन सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 733, दिनांक- 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को CFMS के माध्यम से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**
6. स्वीकृत कुल ₹70.32300 लाख (सत्तर लाख बत्तीस हजार तीन सौ रु०) मात्र की निकासी मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 05-अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष- 001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष- 0104-निदेशालयों एवं इनके समतुल्य संस्थानों के आधुनिकीकरण हेतु विपत्र कोड- 48-2217050010104, विषय शीर्ष- 0104.31.05-सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण से विकलनीय होगा।
7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
8. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।
10. योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
11. स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।
12. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/विविध-24-01/2012 के पृष्ठ सं०-.....16...../टि० पर दिनांक-...2.3.20... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-...97...../टि० पर दिनांक-...2.3.20... को प्राप्त है।
15. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. इसकी सूचना प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/विविध-24-01/2012 281 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-24/3/2020

**प्रतिलिपि:-** प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।